न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 132/2022 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2022/137)

दिलीपसिंह राजावत पुत्र श्री पर्वतसिंह निवासी खासा कोठी हम्मीर नगर वार्ड नम्बर 13 पुलिस थाना सवाईमाधोपुर थाना मानटाउन जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर दिनांक 1.11.2022

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 17.4.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 1.11.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट दिलीपसिंह के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 06/आरएन/एसडब्लूएस/2018 में दर्ज एक रिवाल्वर जिसका नम्बर 135106687 जो दिनांक 31.12.2020 तक नवीनीकृत था। जिसका आगामी अवधि के लिये नवीनीकृत करने के लिये दिनांक 30.7.2021 को प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस संबध में पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त शस्त्र अनुज्ञाधारी/अपीलान्ट के विरूद्ध अभियोग संख्या 449/2019 दिनांक 8.9.2019 को दर्ज होकर जरिये चार्जशीट नम्बर 348 दिनांक 31.10.2019 को धारा 279, 336 भा0द0सं0 पुलिस थाना भीमगंज मण्डी कोटा शहर में चालान पेश किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तथा आवेदक अनुज्ञापत्रधारी का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं माना गया। जिसके आधार पर तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.11.2022 से अपीलान्ट को आदेश दिये कि शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 06/आरएन/एसडब्लूएस/2018 में दर्ज एक रिवाल्वर नम्बर 135106687 को तत्काल प्रभाव से पुलिस थाना मानटाउन स0मा0 में जमा करावें। इस आदेश के

17.4.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। दौराने बहस वकील रैस्पोडेन्ट/एपीपी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हावाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2022 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त आदेश किसी भी विधिवत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निलम्बित/रद्द किए बिना शस्त्र को थाने में जमा कराने का आदेश दिया है, जो कि नियम विरूद्ध है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से दिया जाना आवश्यक था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह कहीं उल्लेख नहीं किया कि अपीलान्ट के लाइसेन्स को निरस्त किया गया है या निलम्बित किया गया है। केवल मात्र पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देकर अपीलान्ट के शस्त्र को जमा कराने का आदेश दिया है, जो कि नियमानुसार नहीं है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2022 विधि विरूद्ध व कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिस अभियोग संख्या 449/2019 दिनांक 8.9.2019 का हवाला देकर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किया है वह अभियोग साधारण धाराओं के तहत दर्ज है, जिसमें बन्दूक के दुरूपयोग का कोई हवाला नहीं है। मात्र अभियोग दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं करने की आज्ञा देकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधान के विपरीत कार्य किया है, जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 1.11.2022 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा मनन किया गया व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उसके पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र संख्या 6/आरएन/एसडब्यूएस/2018 जो कि दिनांक 31.12.2020 तक वैद्य था, का नवीनीकरण किए जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर कार्यालय में दिनांक 30.07.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया। इस आवेदन पत्र के साथ में नवीनीकरण अनुज्ञा शुल्क, शपथ पत्र व आधार कार्ड की प्रति पेश की। उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से दिनांक 13.08.2022 से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक 6589 दिनांक 03.09.2022 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रेषित की कि आवेदक के विरूद्ध अभियोग संख्या 449/2019 दिनांक 08.09.2019 दर्ज है, जिसमें

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

12.4.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

चार्जशीट नं. 339 दिनांक 31.10.2019 को धारा 279 व 336 तहत आईपीसी पुलिस स्टेशन भीमगंज मण्डी कोटा शहर की ओर से चालान पेश किया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अतः आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.11.2022 को पारित किया है, जिसमें अनुज्ञाधारी को निर्देशित किया गया है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 06/आरएन/एसडब्लूएस/2018 में दर्ज रिवाल्वर संख्या 135106687 को तत्काल प्रभाव से पुलिस थाना मानटाउन सवाई माधोपुर में जमा करावें। जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.11.2022 न्यायोचित नहीं हैं, क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर ही दिया गया और न ही अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख किया गया कि आवेदक/अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया गया है या निरस्त किया गया है तथा अनुज्ञा पत्र में दर्ज शस्त्र को थाने में जमा कराए जाने का आदेश किस आधार पर दिया जा रहा है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस भी पक्षकार के विरूद्ध कोई निर्णय पारित होता है। उसे आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया जाना चाहिए तथा विधि प्रावधानों की पालना करते हुए विस्तृत व स्पीकिंग निर्णय पारित किया जाना चाहिए। जिसका कि उक्त प्रकरण में अभाव है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.11.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान करते हुए आयुध अधिनियम 1959 में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर पुनः नए सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.4.2023 को सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सॉवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर